मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये TRAI के नए नियम

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत दूरसंचार कंपनियों को 1 सितंबर 2024 से गैर-पंजीकृत **यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL), ओवर-द-टॉप (OTT) लिंक, एंड्रॉइड एप्लिकेशन पैकेज (APKs)** या कॉल-बैक नंबर वाले संदेशों को ब्लॉक करना होगा।

- **स्पैम और फिशिंग प्रयासों को कम करने** के उद्देश्य से लाए गए नए नियम के तहत संस्थाओं को वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजने के लिये अपने नंबरों को पंजीकृत करने तथा **व्हाईट लिस्ट में** (या अनुमति सूची - स्वीकार्य संस्थाओं की सूची) शामिल करने की आवश्यकता होगी, जिससे लेनदेन संबंधी अलर्ट या प्रमाणीकरण के लिये OTP का उपयोग करने वाले बैंकों व सेवाओं पर असर पड़ सकता है।
    - दूरसंचार कंपनियों को अब संदेश भेजने से पहले उसकी विषय-वस्तु की पुष्टि करनी होगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी।
- TRAI ने बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिये एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140-सीरीज़ से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर, 2024 तक ऑनलाइन **DLT (डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी)** प्लेटफॉर्म या ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
- स्पैम पर और अधिक अंकुश लगाने के लिये दूरसंचार ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रचारात्मक एवं स्पैम कॉलों के लिये उपयोग किये जाने वाले **बल्क कनेक्शनों की निगरानी करें तथा उन्हें डिस्कनेक्ट करें।**
- TRAI की स्थापना वर्ष 1997 में **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत** दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने हेतु की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिये टैरिफ का निर्धारण/संशोधन शामिल है। **यह अधिकार पहले केंद्र सरकार के पास था।** इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
    - इसका प्रमुख उद्देश्य एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीतिगत परिवेश उपलब्ध कराना है, जो समान अवसर प्रदान करे तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को सरल बनाए।

और पढ़ें: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/trai-s-new-rule-to-curb-spam